उत्तर पश्चिम रेलवे पर क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 21वीं बैठक का आयोजन

समिति के सदस्यों ने रेल सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिये सुझाव दिये

प्रभात अभिनन्दन न्यूज

जयपुर, 17 जनवरी (का.सं.)। उत्तर पश्चिम रेलवे के क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति की 21वीं बैठक शुक्रवार 17.01.2025 को प्रधान कार्यालय, जयपुर में आयोजित की गई। समिति के सदस्यो में उत्तर पश्चिम रेलवे के भौगोलिक क्षेत्र से संबन्धित संगठनों, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, रेल यात्री संगठन, उपभोक्ता संरक्षण संगठन के प्रतिनिधियों एवं नामित सदस्यो तथा राजस्थान सरकार की प्रतिनिधि श्रीमती रश्मि गुप्ता, संभागीय आयुक्त, जयपुर सहित कुल 11 सदस्य सम्मिलित हुए।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जन सम्पर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण के अनुसार इस अवसर पर श्री अमिताभ, अध्यक्ष-क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति एवं महाप्रबंधक-उत्तर पश्चिम रेलवे ने समिति के सदस्यों का स्वागत करते हुए अपने संबोधन में कहा कि उत्तर पश्चिम रेलवे पर आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने के लिये पूर्ण क्षमता के साथ कार्य किये जा रहे हैं। साथ ही उन्होंने रेलमार्ग के विद्युतीकरण, माल लदान, समय पालन, रेल संरक्षा, यात्री सुविधाओं, शिकायत निवारण, स्टेशनों के रि-डेवलेपमेंट कार्यों की प्रगति के बारे में भी बताया।

उत्तर पश्चिम रेलवे पर विगत समय में किये गये कार्य निष्पादन, यात्री सुविधाओं के कार्य, निर्माण परियोजनाएं तथा विगत उपलब्धियों पर श्री शशांक, सचिव- क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति व उपमहाप्रबंधक-सामान्य ने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से उपस्थित सदस्यों को अवगत कराया। बैठक में उपस्थित समिति के सदस्यों ने अपने क्षेत्र में यात्री यातायात को ध्यान में रखते हुये नई रेल लाइन, वंदे भारत एवं अन्य नई ट्रेनों के संचालन, विस्तार व फेरों में बढ़ोतरी, रेलगाड़ियों के ठहराव, ट्रेनों की समय-सारणी में बदलाव एवं यात्री सुविधाओं में विस्तार, रेलवे स्टेशनों सफाई व्यवस्था, स्टेशनों का विकास, फुट ओवर ब्रिज की सुविधा, स्टेशनों पर लिफ्ट और एस्केलेटर की सुविधा, वृद्ध एवं निशक्तजनों हेतु सुविधायें, खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, प्रतीक्षारत यात्रियों हेतु सुविधाएं इत्यादि पर सुझाव प्रदान किये। समिति के सदस्यों ने बैठक के आयोजन और यात्री सुविधाओं के लिये की गई चर्चा के लिये रेलवे प्रशासन का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद ज्ञापित किया। बैठक में श्री अशोक माहेश्वरी, अपर महाप्रबंधक, प्रमुख मुख्य परिचालन प्रबन्धक श्री मदन देवड़ा, प्रमुख मुख्य वाणिज्य प्रबन्धक श्री नरसिंह, उपमहाप्रबन्धक (सा.) श्री शशांक, वरि. सहायक उप महाप्रबन्धक श्री कमल शर्मा, उप सचिव श्री पी. के. मलिक सहित प्रधान कार्यालय के कई अधिकारी भी उपस्थित रहे।

फूट्स वह फल सब्जी व्यापार मंडल ने किया भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष बनने पर भव्य स्वागत

चौमूं, 17 जनवरी (का.सं.)। बस स्टैंड सेड माता के मंदिर के सामने महात्मा ज्योतिबा फुले राष्ट्रीय संस्थान चोमू के अध्यक्ष दिनेश कुमार सैनी के तत्वाधान में फल सब्जी व्यापार मंडल ने भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष पद नवनिर्वाचित बाबूलाल बिश्नालिया का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया इस अवसर पर रोहिताश सारण ग्यारसीलाल सैनी महार शैतान सैनी लाल जोगी पवन गुप्ता वचन चौधरी कुमार सैनी श्यामलाल सैनी कालू चौधरी अनेक लोग मौजूद थे।

प्रजनन उपचार में लागत को समझना

जयपुर, 17 जनवरी (का.सं.)। डॉ. प्रियंका यादवगर्भधारण में चुनौतियों का सामना करने वाले कई जोड़ों के लिए प्रजनन उपचार एक महत्वपूर्ण समाधान बन गया है। हालाँकि, सबसे महत्वपूर्ण चिंताओं में से एक वित्तीय पहलू है, क्योंकि इसमें शामिल लागत कई कारकों के आधार पर बहुत भिन्न हो सकती है। इन चरों को समझने से जोड़ों को अपने विकल्पों को बेहतर ढंग से समझने और सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

इन कारकों को समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह जोड़ों को बेहतर योजना बनाने और अपनी वित्तीय स्थिति के अनुकूल सूचित निर्णय लेने की अनुमति देता है। बिड़ला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ, जयपुर में आईवीएफ विशेषज्ञ डॉ. प्रियंका यादव ने बताया, प्रजनन उपचार की लागत नैदानिक परीक्षणों, दवाओं और आईवीएफ या आईसीएसआई जैसी प्रक्रियाओं की जटिलता जैसे कारकों पर निर्भर करती है। बिड़ला फर्टिलिटी एंड आईवीएफ में, हम पारदर्शी मूल्य निर्धारण और व्यक्तिगत देखभाल योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जिससे छिपे हुए शुल्क समाप्त हो जाते हैं। इन लागतों को समझने से जोड़ों को बेहतर योजना बनाने और अपने बजट के अनुकूल विकल्प चुनने में मदद मिलती है। किफ़ायती, उच्च-गुणवत्ता वाली देखभाल हमारी प्राथमिकता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि वित्तीय चिंताएँ माता-पिता बनने के रास्ते में न आएं। प्रजनन उपचार की कीमत कई कारकों पर निर्भर करती है, जिसमें नैदानिक परीक्षणों के प्रकार, आवश्यक दवाएँ और की जा रही प्रक्रियाओं की जटिलता शामिल है। उदाहरण के लिए, ओव्यूलेशन इंडक्शन जैसे सरल उपचार कम खर्चीले हो सकते हैं, जबकि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन **(IVF)** या इंट्रासाइटोप्लाज़्मिक स्पर्म इंजेक्शन **(ICSI)** जैसी अधिक उन्नत तकनीकें इन उपचारों की विशिष्ट प्रकृति के कारण अधिक महंगी होती हैं। निर्धारित दवाओं का प्रकार एक और महत्वपूर्ण विचार है, क्योंकि हार्मोनल थेरेपी और प्रजनन दवाएं उपचार की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। रक्त परीक्षण, अल्ट्रासाउंड और वीर्य विश्लेषण सहित नियमित निगरानी की आवश्यकता भी उपचार चक्र की समग्र लागत में योगदान करती है। पारदर्शिता को प्राथमिकता देने वाले और अनुकूलित देखभाल योजनाएँ प्रदान करने वाले क्लीनिकों को चुनकर, जोड़े यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी प्रजनन यात्रा सुलभ रहे और माता-पिता बनने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने पर केंद्रित रहे।

प्रमुख विश्वविद्यालयों की बौद्धिक ईमानदारी को आरएसएस से खतरा: कांग्रेस

नई दिल्ली, 17 जनवरी (वेब वार्ता)। कांग्रेस ने शुक्रवार को दावा किया कि देश के प्रमुख विश्वविद्यालयों की बौद्धिक ईमानदारी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से खतरा है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह आरोप भी लगाया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के नियुक्ति से संबंधित नियम का उद्देश्य केवल परिसरों में इस तरह की गैर-गंभीर राजनीति को बढ़ावा देना है।

रमेश ने एक खबर का हवाला दिया जिसमें दावा किया गया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) के कई संकाय सदस्यों ने पत्रकार अशोक श्रीवास्तव की पुस्तक ''मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग'' पर बृहस्पतिवार को विश्वविद्यालय को परिसर में आयोजित परिचर्चा की निंदा की है। रमेश ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर पोस्ट किया, ''हमारे प्रमुख विश्वविद्यालयों में बौद्धिक ईमानदारी को साजिश की कहानियों और बचकानी बातों से संबंधित आरएसएस की प्रवृत्ति के वायरस से खतरा है। एक घोर पक्षपातपूर्ण और गंभीरता के अभाव वाली पुस्तक के लिए एक कार्यक्रम दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया था।'' उन्होंने दावा किया कि यह उस संस्थान के लिए घोर अपमान है जो एक प्रमुख शैक्षणिक संस्थान रहा है लेकिन अब आरएसएस की विस्तारित शाखा के रूप में कार्य करता है।'' रमेश ने आरोप लगाया कि नए यूजीसी नियम कुलपतियों की नियुक्ति और गैर-शैक्षणिक व्यक्तियों की नियुक्ति की अधिक केंद्रीय निगरानी की अनुमति देते हैं, और इनका उद्देश्य केवल परिसरों में इस तरह की गैर-गंभीर राजनीति को बढ़ावा देना है।

केरल में घटती आबादी बनी चिंता का विषय, तेजी से आ रही गिरावट

नई दिल्ली, 17 जनवरी (वेब वार्ता)। केरल, जिसे भारत का यूरोप कहा जाता है, अपने बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और प्रति व्यक्ति आय के लिए जाना जाता है। हालांकि, अब यहां की आबादी में जिस गति से गिरावट आ रही है, वह चिंता का विषय बन गई है। 2024 में केरल की अनुमानित आबादी 3.6 करोड़ थी, जबकि 1991 में यह संख्या 2.90 करोड़ थी। पिछले 35 वर्षों में राज्य की आबादी केवल 70 लाख बढ़ी है। 2011 की जनगणना के अनुसार, यहां की आबादी 3.34 करोड़ थी, जो अब स्थिरता के करीब पहुंच गई है। लेकिन कोरोना महामारी के बाद से स्थिति और भी चिंताजनक हो गई है।

पहले राज्य में सालाना 5 से 5.5 लाख बच्चों का जन्म होता था, लेकिन 2023 में यह संख्या घटकर केवल 3,93,231 पर आ गई, जो कि चार लाख से भी कम है। यह संख्या अब तक का सबसे कम आंकड़ा है। जनसंख्या वैज्ञानिकों के अनुसार, किसी भी राज्य की आबादी को स्थिर बनाए रखने के लिए 2.1 की फर्टिलिटी रेट की आवश्यकता होती है। केरल ने यह लक्ष्य 1987-88 में ही हासिल कर लिया था। यहां शिशु मृत्यु दर भी काफी कम है, जो प्रति एक हजार बच्चों पर सिर्फ छह है, जबकि राष्ट्रीय औसत 30 है। इसके बावजूद, पिछले तीन दशकों से यहां की आबादी स्थिर है, और पैदा होने वाले बच्चों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है। केरल में फर्टिलिटी रेट 1987-88 में 2.1 प्रतिशत था, लेकिन इसके बाद यह घटने लगा। 1991 के बाद से यह दर 1.7 से 1.8 के बीच रही और 2020 में यह घटकर 1.5 प्रतिशत पर आ गई। 2021 में यह 1.46 प्रतिशत तक गिर गई और अब 2023 के आंकड़ों के अनुसार यह 1.35 प्रतिशत पर पहुंच गई है। इसका मतलब यह है कि यहां के अधिकांश दंपतियों के पास एक ही बच्चा है, और एक बड़ी संख्या ऐसे दंपतियों की है जिनके कोई बच्चे नहीं हैं।

एपीएसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

APACFIN

ऑफिस नंबर 501, 5वीं मंजिल साउथ एनेक्सी टॉवर 2, वन वर्ल्ड सेंटर सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई - 400013

कब्ज़ा नोटिस

परिशिष्ट IV (नियम 8(1) देखें) (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि, नीचे हस्ताक्षरकर्ता **एपीएसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी हैं, जो एक निजी लिमिटेड कंपनी है, जो भारतीय रिजर्व बैंक के साथ एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में पंजीकृत है, जिसका पंजीकृत कार्यालय ऑफिस नंबर 501, 5वीं मंजिल, साउथ एनेक्सी टॉवर 2, वन वर्ल्ड सेंटर, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल मुंबई, महाराष्ट्र - 400013 में है, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के अधीन तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 04.11.2024 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें उधारकर्ताओं **(1) बलिंदर सिंह (''उधारकर्ता'') (2) भलिंदर सिंह बराड़ (''सह-उधारकर्ता'') (3) गुरजीत कौर (''सह-उधारकर्ता'') से नोटिस में उल्लेखित राशि जो कि रु. 25,42,121.31/- (पच्चीस लाख बयालीस हजार एक सौ इक्कीस रूपये और इकतीस पैसे मात्र), 04-11-2024 तक** ब्याज सहित उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया।

ऊपर पहचाने गए उधारकर्ता(ओं) ने एपीएसी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से सुरक्षित ऋण लिया था, जो अब एपीएसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में विलय/एकीकृत हो गया है। तदनुसार, एपीएसी हाउसिंग फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ उधारकर्ता का ऋण खाता एपीएसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में स्थानांतरित हो गया है।

उधारकर्ताओं द्वारा राशि वापस करने में असफल रहने के कारण, उधारकर्ताओं और आम जनता को यह सूचना दी जाती है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता ने अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित, वर्ष 2025 की जनवरी के इस 16वें दिन नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ताओं और आम जनता को संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन-देन की राशि **रु. 25,42,121.31/- (पच्चीस लाख बयालीस हजार एक सौ इक्कीस रूपये और इकतीस पैसे मात्र), 04-11-2024 तक** के साथ-साथ उस पर ब्याज के लिए एपीएसी फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

उधारकर्ता का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को भुनाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

सभी टुकड़े और पार्सल पी.एन. 153/393, एम.एन. 11, किला नंबर 6 से 8, चक 15 जीबी, ग्रा श्री विजय नगर, जिला-श्री गंगा नगर, श्री बिजयनगर, गंगानगर, राजस्थान-335704, सीमाऐं से घिरा हुआ: पूर्व: सड़क, दक्षिण: कृषि भूमि, पश्चिम: कृषि भूमि, उत्तर: कृषि भूमि

दिनांक: 18.01.2025 | एसडी/- हेमन्त धायल, प्राधिकृत अधिकारी

स्थान: गंगानगर, राजस्थान | एपीएसी फाइनेंस सर्विस प्राइवेट लिमिटेड

जेईसीसी में तीन दिवसीय सोलर एक्सपो का शुभारंभ

देश के एनर्जी ट्रांजिशन में राजस्थान दे रहा सर्वाधिक योगदान -लोकसभा अध्यक्ष

जयपुर, 17 जनवरी। लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि अक्षय ऊर्जा को दिए जा रहे प्रोत्साहन से देश के ऊर्जा परिदृश्य में तेजी से बदलाव आया है। भारत वर्ष-2070 तक गैर जीवाश्म आधारित स्त्रोतों से शत-प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन की अपनी प्रतिबद्धता की ओर मजबूती से कदम बढ़ा रहा है। देश के इस एनर्जी ट्रांजिशन में राजस्थान का सर्वाधिक योगदान होने जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष श्री बिरला शुक्रवार को जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर में भारत सोलर एक्सपो के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बीते कुछ समय में राजस्थान ने सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है और हम आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर हैं।

विवादास्पद बयान देने वाले जस्टिस शेखर कॉलेजियम के सामने हुए पेश

कहा-वह अपनी बात पर कायम, किसी समुदाय के खिलाफ घृणा पैदा करना उद्देश्य नहीं

नई दिल्ली, 17 जनवरी (वेब वार्ता)। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव अपने विवादास्पद बयान को लेकर फिर चर्चा में हैं। विश्व हिंदू परिषद के कानूनी प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) और हिंदू-मुस्लिम मुद्दों पर तीखी टिप्पणी की थी।

इस बयान के बाद उन्हें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम के समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी पड़ी थी। कॉलेजियम ने मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अरुण भांसाली से रिपोर्ट मांगी थी। जस्टिस यादव ने चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपने बयान पर सफाई दी और कहा कि वह अपनी टिप्पणियों पर कायम हैं। उन्होंने लिखा कि उनका बयान संविधान में निहित मूल्यों के अनुरूप था और किसी भी समुदाय के खिलाफ घृणा पैदा करने का उद्देश्य नहीं रखता। जस्टिस यादव ने अपने पत्र में यह भी कहा कि न्यायपालिका के सदस्यों को, जो सार्वजनिक रूप से खुद का बचाव करने में असमर्थ हैं, वरिष्ठों द्वारा समर्थन और संरक्षण की जरुरत होती है।

उन्होंने साफ कहा कि उनकी टिप्पणी न्यायिक आचरण के किसी भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करती है। 8 दिसंबर को आयोजित इस कार्यक्रम में उन्होंने समान नागरिक संहिता पर बोलते हुए कहा था कि हिंदू समाज ने अपनी प्रथाओं में सुधार लाने का साहस दिखाया है। उन्होंने सती प्रथा, छुआछूत, जौहर, और कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियों को खत्म करने का उदाहरण दिया।

इसके विपरीत, उन्होंने मुस्लिम समाज से सवाल किया कि वे अपने पर्सनल लॉ में सुधार क्यों नहीं कर रहे हैं। जस्टिस यादव ने कहा कि आपको यह गलतफहमी है कि समान नागरिक संहिता आपके शरीयत, इस्लाम या कुरान के खिलाफ है। मुस्लिम समाज को भी बहुविवाह और तीन तलाक जैसी प्रथाओं को खत्म करना चाहिए। जस्टिस यादव के इस बयान पर देशभर में बहस छिड़ गई है। जहां कुछ लोगों ने इसे समाज सुधार की दिशा में बताया है, इस मामले में आगे कॉलेजियम क्या कदम उठाएगा, इस पर सबकी नजरें हैं।

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आप विधायक पर भाजपा प्रवक्ता की टिप्पणी की निंदा की

लखनऊ, 17 जनवरी (वेब वार्ता)। समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता की आप विधायक पर कथित टिप्पणी की निंदा करते हुए कहा कि इस 'शब्द-बाण' से अपमानित हुए पूर्वांचली, इसे कभी नहीं भूलेंगे।

सपा प्रमुख ने भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला की विवादास्पद टिप्पणी का हवाला देते हुए 'एक्स' पर पोस्ट में कहा भाजपा के एक राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा एक राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल पर आम आदमी पार्टी, दिल्ली के एक निर्वाचित विधायक के उपनाम को बिगाड़कर, उस उपनाम के लिए अत्यंत आपत्तिजनक अपशब्द का इस्तेमाल करना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि घोर निंदनीय भी है। यादव ने कहा यह कथन भाजपा की उप्र, बिहार और पूर्वांचलियों के प्रति उस संकीर्ण सोच को दर्शाता है, जो हमेशा नकारात्मक रही है। ये किसी माफ़ी से ख़त्म होनेवाला मामला नहीं है। सपा प्रमुख ने कहा इस 'शब्द-बाण' से अपमानित हुए पूर्वांचली, इसे कभी भूलेंगे नहीं। यूपी-बिहार कहे आज का, नहीं चाहिए भाजपा ! शहजाद पूनावाला ने एक समाचार चैनल पर तीखी बहस में आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक ऋतुराज झा के उपनाम का इस्तेमाल कर उन पर कटाक्ष किया था।

सिक्किम में वाहन खाई में गिरा, पांच लोगों की मौत

गंगटोक, 17 जनवरी (वेब वार्ता)। सिक्किम के ग्यालशिंग जिले में एक कार के खाई में गिर जाने से उसमें सवार पांच लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।

पुलिस ने बताया कि बृहस्पतिवार रात पांच लोगों को लेकर जा रही एक कार रटोमेटी के पास पहाड़ी से लुढ़क कर 500 फुट गहरी खाई में जा गिरी।

स्थानीय लोगों ने सुबह पुलिस को सूचित किया और सभी पांचों लोगों के शव बरामद कर लिए गए।

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, जन स्वा. अभि.विभाग, खण्ड जोबनेर

क्रमांक: अ.अ./खण्ड/जोबनेर/2024-25/1941-53 | दिनांक: 10.01.25

निविदा सूचना सख्यां-64-68/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल की ओर से खण्ड जोबनेर के अधीन उपखण्ड साभंर एवं उपखण्ड किशनगढ-रेनवाल के अधीन विभिन्न कार्यों की निविदा संख्या 64-68/2024-25 के द्वारा आमंत्रित की जाती है।

निविदा संख्या 64-68/2024-25 दिनांक 20.01.2025 तक अपरान्ह 1 बजे तक डाउनलोड की जाकर दिनांक 20.01.25 तक अपरान्ह 1 बजे तक अपलोड की जा सकेगी। निविदा की तकनिकी बिड दिनांक 20.01.2025 कों अपरान्ह 2.00 बजे ऑनलाईन खोली जावेगी।

निविदा प्रपत्र व इससे संबंधित नियम व शर्ते विस्तृत विवरण निम्नलिखित वेबसाइट पर देखे जा सकते है।

1. www.eproc.rajasthan.gov.in 2. www.dipronline.or. 3. SPPP Portal 2. Office ID 41829

64/2024-25	PHE2425WSRC08231	65/2024-25	PHE2425WSRC08235
66/2024-25	PHE2425WSRC08239	67/2024-25	PHE2425WSRC08242
68/2024-25	PHE2425WSOB08243		

अधिशाषी अभियन्ता
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
खण्ड- जोबनेर

DIPR/C/662/2025 | **''जल ही जीवन है।''**

वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

VASTU HOUSING FINANCE

यूनिट 203 और 204, दूसरी मंजिल, ''ए'' विंग, नवभारत एस्टेट, जकारिया बंदर रोड, सिवड़ी (पश्चिम), मुंबई 400015 महाराष्ट्र

CIN No.: U65922MH2005PLC272501

कब्ज़े की सूचना

जबकि, अधोहस्ताक्षरी वित्तीय संपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित के प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते और धारा 13(12) के तहत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 9 के साथ पठित हैं। सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम 2002, ने एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें नीचे उल्लेखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर संबंधित नोटिस में उल्लेखित राशि चुकाने के लिए कहा गया था। कर्जदारों द्वारा राशि का भुगतान करने में विफल रहने पर अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमों के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित तिथि को नीचे वर्णित संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और गारंटर और आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति का लेन-देन न करें और संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड शाखा के प्रभार के अधीन होगा जो नीचे दी गई राशि और उस पर ब्याज के लिए होगा, लागत आदि।

क्र. सं.	उधारकर्ता, सह-उधारकर्ता का नाम और लैन नंबर	मांग सूचना की दिनांक और राशि	संपत्ति का विवरण	दिनांक और प्रकार का स्वामित्व
1.	विमल कुमावत, नीटू कुमावत, कैलाश चंद HL0000000134341	20-अप्रैल-24 रु. 2611916 16-अप्रैल-24 तक	फ्लैट नंबर जी 1 ग्राउंड फ्लोर पर प्लॉट नंबर 486 स्कीम मोती नगर पश्चिम, वैशाली नगर के पास जयपुर, राजस्थान, 302021, संपत्ति का क्षेत्रफल: 750 वर्ग फीट।	भौतिक कब्ज़ा 13-जनवरी-25 को लिया गया

दिनांक : 18.01.2025 | अधिकृत अधिकारी

स्थान : जयपुर | वास्तु हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ई - नीलामी सूचना

इच्छुक क्रेताओं से ई-नीलामी फार्म आमंत्रित किए जाते हैं, जिनका निपटान पूर्णत: ''जैसा है जहां है'' के आधार पर किया जाएगा। क्राफ्ट पेपर की जल/प्रभावित क्षति खेप - मात्रा-33,976 किलोग्राम (90 रील) मेसर्स श्री अजीत पल्प एंड पेपर लिमिटेड से संबंधित है, उपरोक्त सामग्रियों के बचाव का निरीक्षण मेसर्स पैक परफेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, प्रथम तल, ई-1006, फेज-3, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, राजस्थान, में श्री बृज मोबाइल 9650995515 से पूर्व नियुक्ति लेने के बाद 18/01/25 से 26/01/25 के बीच किया जा सकता है। ई-नीलामी 27/01/25 को होगी। ई-नीलामी फॉर्म के लिए, श्री नीरज सदाना से मोबाइल: - 8434340000 पर संपर्क करें।

ई-नीलामी इनसाइट्स प्राइवेट लिमिटेड (नीलामीकर्ता)

पता: - 148, स्ट्रीट #11, भाखड़ा एन्क्लेव, गुरुद्वारा साहिब मालोमाजरा के पास, तहसील और जिला पटियाला, पंजाब-147001 या अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें - **info@eauctionbharat.com**- ई-नीलामी फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 26/01/25 शाम 05.00 बजे से पहले है।

pnb Housing Finance Limited Ghar Ki Baat

परिशिष्ट -4-क अचल सम्पत्ति(यों) की ई-नीलामी बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना

पंजीकृत कार्यालय : - 9 वीं मंजिल, अंतरिक्ष भवन, 22, के जी मार्ग, नई दिल्ली -110001 फोन : - 011-23357171, 23357172, 23705414, वेबसाइट : **www.pnbhousing.com**

जयपुर शाखा:- एसबी-59, यूडीबी टावर्स, पहली मंजिल, सामने जयपुर नगर निगम, टोंक रोड, जयपुर-302015 **भिवाड़ी शाखा**:- ए-10, पहली मंजिल, भगत सिंह कॉलोनी, अलवर बाई पास, भिवाड़ी-301019,

एतद्द्वारा सूर्व साधारण को और विशेष रूप से कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों) एवं गारंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित कालम नंबर-डी में वर्णित अचल सम्पत्ति(यों), जिसका प्रलक्षित/भौतिक कब्जा पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड (पीएनबी एचएफएल)/प्रत्याभूत लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है (कालम नंबर-सी में वर्णितानुसार) नीचे दिए विवरण के अनुसार **''जैसी है जहां है'', जैसी है जो है'** तथा **''जो भी है वहां है''** आधार पर बेची जाएगी। एतद्द्वारा कालम नंबर -ए में निदर्शित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं)/संबंधित कर्जदार(रों)/बंधकदाता(ओं) (मृत्योपरान्त) के कानूनी वारिसों, कानूनी प्रतिनिधियों, (चाहे ज्ञात अथवा अज्ञात), निष्पादक(कों), प्रशासक(कों), उत्तराधिकारी(यों), समनुदेशिती(यों) को, जैसी भी स्थिति है, प्रतिभूति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 अद्यतन संशोधित के नियम 8(6) एवं 9 के तहत सूचना दी जाती है।

बिक्री के विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिए, कृपया मैसर्स पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, प्रतिभूत लेनदार की वेबसाइट नामत: **www.pnbhousing.com** में उपलब्ध कराया गया लिंक देखें।

ऋण संख्या, कर्जदार/सह-कर्जदार का नाम गारंटर(s) (ए)	मांग सूचना मांग की राशि और तारीख (बी)	कब्ज़ा का प्रकार (सी)	बंधक रखी सम्पत्तिओं का विवरण (डी)	आरक्षित मूल्य (आरपी) (ई)	ईएमडी (आरपी का 10%) (एफ)	बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि (जी)	बोली वृद्धि राशि (एच)	निरीक्षण की तिथि एवं समय (आई)	नीलामी की तिथि एवं समय (जे)	ज्ञात ऋणभार/न्यायालय मामला, यदि कोई, (के)
NHL/JPR/0717/410147/ & NHL/JPR/1218/619613 बी.ओ.जयपुर, कुलदीप सिंह / बलवीर कौर	16.01.2024 तक रु. 6021398.98	भौतिक कब्जा	मकान नंबर 137-बी, सुभाष नगर एक्सटेंशन पूर्व -। श्रीराम मंदिर के पास, भीलवाड़ा, राजस्थान -311001	रु. 8546000	रु. 854600	04.02.2025	रु. 20000	24.01.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	05.02.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	DRT Case SA/380/2024 (Kuldeep Singh Vs PNBHFL) NDOH -12-12-2024
HOU/BHI/0817/416667 बी.ओ.भिवाड़ी, स्वर्गीय निमाई के सभी कानूनी उत्तराधिकारी चंद्र मंडल / चैना मंडल	21.08.2023 तक रु. 3110421.58	भौतिक कब्जा	305,3, टावर जे, कैपिटल ग्रीन, खसरा नंबर 838-917, 839/919, 840, 841 ग्राम - मिलकपुर भिवाड़ी, जिला अलवर (राजस्थान), भिवाड़ी, राजस्थान, भारत-305203	रु. 1984000	रु. 198400	19.02.2025	रु. 10000	10.02.2025 पूर्वा. 10.00 बजे से अप. 05:30 बजे	20.02.2025 अप. 02.00 बजे से अप. 03:00 बजे	Not Known

*उसके भुगतान तथा/अथवा वसूली की तिथि तक लागू अनुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर पर भावी ब्याज, उपगत किए गए अनुषंगी खर्चों, लागत, प्र